

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 5, बरेली।

राज्य बनाम जितेन्द्र पाल

धारा एम0वी0 एक्ट

दिनांक 31.08.2022

पत्रावली पेश हुई।

सुना एवं अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म इकबाल करते हुए कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी।

आदेश

अभियुक्त को मु0 100/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 01 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 5,
बरेली।